कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति निवाई जिला–टोंक

क्रमांक : कृउमस – निवाई / आवटन / निवाई / 2021–22 / 1177–1189 दिनांक 28/09/2021

आवटन सूचना

कृषि उपज मण्डी समिति निवाई के मुख्य मण्डी प्रागंण में निर्मित रिक्त दुकानों एवं चिन्हित रिक्त भूखण्डों का अचल सम्पत्ति आवंटन नीति 2005 तथा समय–समय पर जारी संशोधनो के अन्तर्गत द्वितीय एवं पश्चावर्ती चरण में 99 वर्षीय लीज पर आवटन किये जाने हेतु मण्डी समिति निवाई के अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी वर्ग / "क" वर्ग दलाल / संयुक्त श्रेणी व्यापारी वर्ग, वनउपज / औषधिपादप / जड़ी बूटियों के व्यवसाईयों, मण्डी क्षेत्र की अनुज्ञापत्रधारी तेल मिल व अन्य कृषि जिन्स प्रसस्करण इकाईयाँ मण्डी क्षेत्र की कृषक महिलाओं, जैविक खेती के उत्पादक कृषकों, निःशक्तजनो तथा पजीकृत कृषक उत्पादक सगठन / कम्पनीयां से आवेदन पर आमन्त्रित किये जाते है। आवंटन योग्य रिक्त दुकानों / भूखण्डों व नीति अनुरूप आरक्षण का विवरण निम्न प्रकार है :–

मुख्य मण्डी प्रागण	रिक्त दुकान / गोदाम / भुखण्ड का विवरण	आवटन योग्य रिक्त चिन्हित कुल भूखण्डो की संख्या	साईज	अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों हेतु भुखण्डों की संख्या: अनुज्ञापत्रधारी व्यापारी		अनुज्ञापत्रधारी तेल मिल व अन्य जिन्स प्रसस्करण इकाइया (मण्डी से बाहर)		अनुज्ञापत्रधारी वनउपज / औषिधिपादक / जड़ी बूटियों के व्यवसाईया		कृषिक महिलाओं हेतु आरक्षित भूखण्ड संख्या: सामान्य वर्ग महिला			एस.सी वर्ग महिला			एस.टी.वर्ग महिला			जैविक खेती के उत्पादक कृषकों हेतु भुखण्डों की सख्या		पजीकृत कृषक उत्पादक सगठन / कम्पनी हेतु भूखण्डों की संख्या	आवंटन दर
				सामान्य	निःशक्तजन	सामान्य	निःशक्तजन	सामान्य	निःशक्तजन	सामान्य	निःशक्तजन	विधवा महिला	सामान्य	निःशक्तजन	विधवा महिला	सामान्य	निःशक्तजन	विधवा महिला	सामान्य	निःशक्तजन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
मुख्य मण्डी प्रागंण निवाई	ब्लॉक सी के उत्तर में दुकानो हेतु भू–खण्ड	02	25`x61`6``	01	01	–	–	02	–	–	–	–	01	–	–	01	–	–	01	–	02	अचल सम्पति आवटन नीति 2005 के सशोधि प्रावधानो के अनुरूप आवटन दिनाक को प्रभा व्यवसाय डीएलर दर
	ब्लॉक ई के पिछे दूकानों के भूखण्ड	06	20`6``x60`																			
	ब्लॉक एच में दुकानो हेतु भू–खण्ड	01	20`6``x40`																			

1 (i) कॉलम संख्या 5 मे वर्णित भूखण्डो / दुकानो का द्वितीय / पश्चातवर्ती चरण हेतु निर्धारित दर एवं प्रक्रिया अनुसार आवंटन सर्वप्रथम ऐसे अनुज्ञापत्रधारियों को जो अचल सम्पति आवंटन नीति 2005 की प्रभावशीलता से पूर्व के अनुज्ञापत्रधारी हैं तथा वर्तमान तक निरन्तर कार्यरत हो को आवंटन किया जावेगा। उक्त अनुज्ञापत्रधारियों में प्रथम चरण के आवंटन से शेष रहे अनुज्ञापत्रधारी व्यापारियों एवं "क" वर्ग दलाल / संयुक्त व्यापारी को प्राथमिकता दी जावेगी।
(ii) उक्तानुसार प्रथम वरीयता के अनुज्ञप्तिधारी आवंटन से शेष नही रहने पर द्वितीय वरीयता पर ऐसे अनुज्ञप्तिधारी आवेदको को आवंटित किये जावेंगे जो विज्ञप्ति जारी होने के ठीक पूर्व के तीन पूर्ण वित्तीय वर्षो में व्यवसायरत हो, को द्वितीय चरण हेतु निर्धारित आरक्षित दर की डेढ गुना राशि पर एवं प्रक्रिया अनुसार आवंटन किया जावेगा।
(iii) बिन्दु (i) व (ii) के समस्त पात्र अनुज्ञप्तिधारी आवेदको को आवंटन पश्चात दुकान / भूखण्ड रिक्त रहने की दशा में शेष समस्त अनुज्ञापत्रधारी आवेदक जो विज्ञप्ति जारी होने से पूर्व के अनुज्ञप्तिधारी हैं, को आरक्षित दर की दो गुना दर का भुगतान करने पर द्वितीय चरण हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार भूखण्डो का आवंटन किया जावेगा।

2 आवेदन हेतु आवेदन पत्र 500/– रूपये कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति निवाई में नकद जमा कराकर दिनांक 28.09.2021 से कार्यालय समय में मण्डी समिति कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। आवेदन पत्र भरकर कार्यालय कृषि उपज मण्डी समिति निवाई में दिनांक 28.10.2021 को दोपहर 05.00 बजे तक जमा करवाये जा सकते है।

3 आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि के रूप में 10,000/– रूपये का डीडी संलग्न करना अनिवार्य होगा जो सचिव कृषि उपज मण्डी समिति निवाई के नाम से देय हो। बिना धरोहर राशि आवेदन फार्म मान्य नही होगा।

4 महिला कृषक वर्ग हेतु मण्डी समिति क्षेत्र निवाई का मूल निवासी होने का सक्षम स्तर से जारी मूल निवास प्रमाण–पत्र एवं विज्ञप्ति जारी होने के कम से कम 2 वित्तीय वर्ष पूर्व से न्यूनतम 01 बीघा भूमि मण्डी क्षेत्र में स्वयं के नाम होने की नवीनतम जमाबंदी के साथ गिरदावरी की नकल आवेदन पत्र के साथ लगाना अनिवार्य होगा।

5 निशक्तःजन / अनु.जाति / अनु.जनजाति कृषक महिला तथा जैविक खेती उत्पादक कृषक को सक्षम अधिकारी / विभाग का प्रमाण–पत्र आवेदन पत्र के साथ सलग्न करना अनिवार्य है।

6 शेष शर्ते व लेआउट प्लान मण्डी समिति निवाई में किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखी जा सकती हैं एवं विभागीय पोर्टल hhttp://agriculture.rajasthan.gov.in/mandi पर भी आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

7 आवटन विज्ञप्ति में वर्णित भूखण्डों का आवटन का प्रस्तावित भूखण्डों के चिन्हाकन के पश्चात किया जावेगा।

प्रशासक
कृषि उपज मण्डी समिति
निवाई

सचिव
कृषि उपज मण्डी समिति
निवाई

क्रमांक : कृउमस– निवाई/आवंटन/निवाई/2021–22/ दिनांक :–

प्रतिलिपीः– वास्ते सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड चस्पा/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान निदेशक महोदय कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर
2. श्रीमान जिला कलेक्टर, टोंक
3. श्रीमान क्षेत्रीय उपनिदेशक महोदय, कृषि विपणन विभाग, अजमेर खण्ड अजमेर।
4. श्रीमान प्रशासक, कृषि उपज मण्डी समिति, निवाई
5. श्रीमान महाप्रबंधक महोदय, रा0रा0कृ0वि0 बोर्ड, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
6. श्रीमान उपनिदेशक/प्रोग्रामर कृषि विपणन निदेशालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने बाबत्।
7. प्रबंधक निदेशक, राजस्थान संवाद सूचना जन सम्पर्क विभाग जयपुर को जरिये ई–मेल आई.डी. Classified.samwad@gmail.com पर प्रेषित कर अनुरोध हैं कि उक्त आवंटन सूचना को दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रो, जो आमजन हेतु सर्वसुलभ हो, जिनका अधिक से अधिक प्रकाशन होता हो, के स्थानीय संस्करण में एक बार न्यूनतम स्पेस में प्रकाशित करवाकर बिल डी.पी.आई.आर. की अनुमोदित दर पर भुगतान हेतु कार्यालय को प्रेषित करे।
8. कम्प्यूटर शाखा को वास्ते ई–मेल हेतु।
9. अध्यक्ष, व्यापार मण्डल, निवाई
10. अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, टोंक/निवाई
11. कैश शाखा/लेखा–शाखा/आवंटन पत्रावली।
12. नोटिस बोर्ड उपखण्ड कार्यालय/तहसील कार्यालय/नगरपालिका/पंचायत समिति/कार्यालय हाजा/फल एवं सब्जी निवाई
13. लेखा शाखा/स्टोर शाखा को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त आवंटन सूचना को आवश्यकता अनुसार मण्डी प्रांगण के होर्डिंग, यूनिपोल इत्यादि पर प्रदर्शित करे।
14. आरक्षित पत्रावली।

सचिव

कृषि उपज मण्डी समिति

निवाई